[निजी प्रसार के लिए]

अंक ३५

नई दिल्ली, जनवरी २०१३

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए ज़िला/अंचल स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान आवश्यक'

श्री ईश कुमार

पिछले अंक में प्रस्तुत श्री ईश कुमार, निदेशक प्रशिक्षण, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के साक्षात्कार का दूसरा भाग इस अंक में प्रस्तुत है।

जनमैत्री थानों के बारे में भी माइक्रोमिशन में एक परियोजना है। इसका स्वरूप कैसा होगा और इसका मकसद क्या है?

हमने जनमैत्री थानों के स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना का मॉडल अफसर मैं ही हूँ, इसका मकसद है जनता के मस्तिष्क से थानों का भय निकालना और थानों को एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित करना जैसे कि कोई अस्पताल हो जहाँ आप सेवा प्राप्त करने के लिए आएं तो आपको किसी का भय नहीं हो। एक रिसेप्शन क्षेत्र हो, एक प्रतीक्षालय हो जहाँ कुछ अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो जिसे आप प्रतीक्षा करते हुए पढ़ सकें, बैठने का उचित प्रबंध हो, साफ़–सुथरा शौचालय हो और आपके साथ आत्मीयता का व्यवहार हो।

हमें आशा है कि यह परियोजना इस वर्ष के मार्च तक पूरी हो जाएगी और फिर इसके सुझावों को लागू कराने के लिए कुछ स्थानों पर पायलट प्रॉजेक्ट करवाने पड़ेंगे उसके बाद इसके प्रभावों का मुल्यांकन करने के बाद यदि साकारात्मक परिणाम रहे तब राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करवाया जाएगा।

थाना स्तर के पुलसकर्मियों को दी जानी वाली प्रशिक्षण के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या प्रशिक्षण की अवधि और प्रशिक्षण की सम्पूर्ण गुणवत्ता उनके द्वारा वांक्षित भूमिका को निभाने के लिए उचित है?

कुछ स्थानों पर प्रशिक्षण बहुत अच्छा है जबकि कुछ स्थानों पर इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं आंध्र प्रदेश से आता हूँ, वहाँ प्रशिक्षण का स्तर अच्छा है लेकिन सभी राज्यों में ऐसा नहीं है।

कुछ समय पहले बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा समान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करके इसे सभी स्थानों पर लागू कराने की बात कही गई थी लेकिन यह अब तक क्यों लागू किया नहीं किया गया है?

दरअसल, बी.पी.आर. एण्ड डी. ने २००१–२००२ में आस्की, हैदराबाद के साथ मिलकर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का एक विश्लेषण किया था और इसके बाद हर स्तर के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया था – कांस्टेबल के लिए, एस.आई. के लिए और डी.एस.पी. के लिए।

हालांकि, इसे सभी स्थानों पर लागू नहीं किया जा सका है। पुलिस राज्य का विषय है लेकिन पुलिस प्रशिक्षण समवर्ती सूची में है और केन्द्र का विषय है और इसलिए एक समान पाठ्यक्रम बनाये गये हैं लेकिन उसके अपनाये जाने में संघीय संरचना के कारण दिक्कत आ रही है। आमतौर पर कांस्टेबल स्तर के लिए प्राथमिक पाठ्यक्रम की अवधि ६ महीने रखी गई है लेकिन कुछ राज्य केवल ६ महीने में ही प्रशिक्षण समाप्त कर देते हैं। ऐसे में, आप जितना कम समय देंगे उतना कम पढ़ा सकेंगे और इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता अवश्य प्रभावित होगी। कई जगह यह अवधि ११–१२ महीने की भी है।

मैं जब आंध्रा प्रदेश में डी.आई.जी. प्रशिक्षण था तब कांस्टेबलों के लिए बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा विकसित पाठ्यक्रम को लागू किया था लेकिन, मेरे बाद जो अधिकारी आए उन्होंने इसे वापस बदल दिया।

प्रशिक्षण में इस प्रकार की व्यक्तिगत राय और प्राथमिकताओं की गुंजाईश न हो इसलिए क्या ऐसे नियम नहीं बनाये जाने चाहिए जिससे कि उक्त पाठ्यक्रमों को अपनाना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हो?

इसमें भी संघीय संरचना के कारण कठिनाई आई है। कुछ स्थानों पर इसे अपनाया गया है और कुछ स्थानों पर नहीं। इसके अलावा उसमें एक दिक्कत यह है कि सभी राज्यों में कुछ विशिष्ट स्थानीय कानून हैं जिनका पढ़ाया जाना वहाँ के लिए आवश्यक है। हालांकि, बुनियादी कानूनों जैसे कि – संविधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को तकरीबन सभी राज्यों में समान रूप से ही पढ़ाया जाता है।

इसके अलावा प्रशिक्षण गुणवत्ता में कमी का कारण यह भी है कि इन संस्थानों में आज भी कोई अच्छे अधिकारी जाना नहीं चाहते। हमारे पुलिस में एक कथन प्रचलित है 'कॉगपोस्टिंग' एवं 'नॉन–कॉग पोस्टिंग' अर्थात् ऐसे पद जिसका संज्ञान पुलिस बल में अच्छे पदों के रूप में किया जाता है और ऐसी नियुक्तियां जिन्हें बेकार या दाण्डिक नियुक्ति माना जाता है। प्रशिक्षण संस्थानों में नियुक्ति को आज भी दण्ड के रूप में देखा जाता है क्योंकि वहाँ कोई प्रलोभन नहीं है इसलिए लोग थानों में रहना पसंद करते हैं।

इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि प्रशिक्षण चल रही है उसी दौरान कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री साहब आ गए आपने प्रशिक्षणार्थियों को कोर्स से उठा कर वहाँ बंदोबस्त में लगा दिया, इससे प्रशिक्षण का जो महत्व है जो इसकी पवित्रता है वह प्रभावित होती है।

प्रशिक्षण गुणवत्ता में कमी का एक और कारण यह है कि भर्ती प्रक्रिया ठीक नहीं है। चार वर्षों तक आपने कोई भर्ती नहीं कि और उसके बाद इकट्ठे २०,००० भर्ती कर दी। अब प्रशिक्षण की क्षमता आपके पास है ४०० की। अब आप क्या करेंगे – ६ महीने के प्रशिक्षण को ६ महीने का करेंगे, कुछ को बटालियन में भेजेंगे, कुछ को ऐसे स्थानों में भेजेंगे जिनके पास प्रशिक्षण के लिए न तो कोई स्थान है न ही प्रशिक्षक हैं। इस प्रकार गुणवत्ता में समझौता करना पड़ता है।

अगर राज्यों में उचित संख्या में प्रशिक्षण के लिए स्थान और प्रशिक्षक नहीं होते हैं तब यह दायित्व किसी बाहरी स्रोत को क्यों नहीं दे दिया जाता है?

पुलिस का प्रशिक्षण कौन करा सकता है? सभी विषयों को वकील या दूसरे मानवाधिकार प्रशिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं। हालांकि, हम समय–समय पर मैनेजमेंट या मानवाधिकार से सम्बन्धित मुद्दों के लिए बाहरी स्रोतों जैसे कि वकीलों आदि को बुलाते हैं लेकिन तकनीकी प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधिकारियों की ही आवश्यकता होती है।

इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि किसी भी राज्य में रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराने की क्षमता ही नहीं है। देश में कुल २० लाख के करीब सिविल पुलिस है इसमें कांस्टेबल और एस.आई. पूरी पुलिस का ८७ प्रतिशत हैं। हमारे पास जितने प्रशिक्षण संस्थान हैं उसमें ६ महीने कांस्टेबलों की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दूसरे वर्ष अगला ग्रुप तैयार होता है इसी ट्रेनिंग के लिए । अर्थात केवल २–३ महीने का समय साल में शेष बचता है। इसलिए मेरा मानना है कि एक कांस्टेबल को प्रशिक्षण संस्थान में दोबारा आने के लिए तकरीबन १५ साल लग जाते हैं। अब जो नए कानून बने, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, फौरेंसिक में कोई नया विकास हुआ उसे यह सब कैसे मालूम होगा इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जैसे तमिलनाडू ने हर रेंज स्तर पर एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया है या फिर आंध्रा प्रदेश और गुजरात जिन्होंने ज़िला स्तर पर इसकी स्थापना की है वैसे ही हर राज्य में किया जाए। उसके बाद उस ज़िले में जितने भी थाने हैं वहाँ से एक–एक कांस्टेबल को ५ दिनों के एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए उस संस्थान में भेजें और फिर जो भी बताना हो उसे बताएं। यह प्रक्रिया दूसरे ग्रुप के साथ भी लगातार अपनाई जाती रहे तभी रिफ्रेशर ट्रेनिंग करना सम्भव है अन्यथा देश में इतने प्रशिक्षण संस्थान ही नहीं हैं।

हम लोग प्रशिक्षण में सुधार के लिए एक और काम कर रहे हैं, हम लागों ने ८५ विषय चुने हैं जिन पर हम मैन्युअल, हिंदी फिल्म और इंटैरेक्टिव मॉडयूल बना रहे हैं जोकि ऑनलाईन उपलब्ध होगा और फिर हम किसी एस.आई. को कह सकेंगे कि वह अपने थाने में सप्ताह में एक दिन कुछ घण्टों तक बाकी के पुलिसकर्मियों को इन सामग्रियों का उपयोग करके पढ़ायें और जानकारियां बांटें। इनमें ऐसे विषय शामिल हैं, जिससे अनुसंधान में सुधार आएगा तथा जाँच में उपयोग होने वाले वैज्ञानिक तरीकों पर भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी जिससे कि मानवाधिकारों के हनन के केसों में भी कमी आएगी।

बूझो और जीतो–१३

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका द्वारा आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत गत वर्ष की गई थी और इसके प्रति आपकी रुचि के कारण हम इस वर्ष भी इसे जारी रखने वाले हैं।

इसके अंतर्गत पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पाँचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रा से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम २००५ के अंतर्गत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करने का दायित्व पुलिस का होता है?

२. क्या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम २००५ के अंतर्गत पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है? यदि 'हाँ' तो किन परिस्थितियों में?

३. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम २००५ के अंतर्गत अदालत को कितने समय में अपना निर्णय दे देना चाहिए?

४. किशोर न्याय (देखरख एंव सुरक्षा) अधिनियम २००० के अंतर्गत १७ वर्ष एंव ६ महीने के किसी किशोर को हत्या के अपराध के लिए अधिकतम कितने समय के लिए बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है?

५. किशोर न्याय (देखरख एंव सुरक्षा) अधिनियम २००० के अंतर्गत केस की जाँच और निर्णय कितने समय में पूरा हो जाना चाहिए?

बूझो और जीतो – १० का परिणाम

अक्टूबर २०१२ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. द.प्र.सं. की धारा २ (भ) के अनुसार 'वारंट केस' ऐसे केस को कहते हैं जो किसी ऐसे अपराध से सम्बन्धित हो जिसका दण्ड–मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास हो या जिसमें कम से कम २ वर्ष का कारावास हो।

२. द.प्र.सं. की धारा ६ के अनुसार सबसे निचली श्रेणी की आपराधिक अदालत, कार्यकारिणी (इक्ज़क्यूटिव) मजिस्ट्रेट की अदालत होती है।

३. द.प्र.सं. की धारा १७३(२)(८) के अंतर्गत अदालत अंतिम रिपोर्ट के बाद भी आगे जाँच का आदेश दे सकती है।

४. भा.द.सं. की धारा ८३ के अनुसार एक ७–१२ वर्ष के बच्चे द्वारा किये गये किसी भी काम को अपराध नहीं माना जाएगा अगर उसे करते समय बच्चा इसके परिणाम से अनभिज्ञ हो। इसलिए उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. नहीं दर्ज की जा सकती है।

५. द.प्र.सं. की धारा ४५ के अंतर्गत पुलिस केन्द्र सरकार की अनुमति के बगैर सेना के किसी भी व्यक्ति को उनके व्यावसायिक दायित्वों के निर्वाह में हुए अपराध के लिए गिरफ़्तार नहीं कर सकती है।

विजेता

इस बार भी किसी भी प्रतिभागी के सभी उत्तर सही नहीं थे, इसलिए विजेता का स्थान रिक्त है।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१–०११–४३१८०२००, ४३१८०२२५–२९९
फैक्स : +९१–०११–२६८६४६८८
ई–मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http//www.humanrightsinitiative.org

पुलिस सुधार - विलम्ब की गुंजाईश नहीं!

वर्तमान परिस्थितियों में दिल्ली एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ तकरीबन हर कोई जितना बदमाशों से असुरक्षा का अनुभव करता है उतना ही पुलिस से भी। दिल्ली के बस में हुए बर्बतापूर्ण बलात्कार के मामले ने पुलिस को इस बात का जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए क्या किया गया है।

अपने बल के कार्य–निष्पादन का बचाव करते हुए, कमिश्नर ने इस बात की व्याख्या की और बताया कि वह सभी स्तरों में जेंडर संवेदीकरण के लिए महिला संगठनों के साथ तालमेल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग के आम कार्यों में सुधार लाने के लिए केन्द्रशासित प्रदेश ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिऐ गए निर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाया है और पुलिस शिकायत प्राधिकरण और एक सुरक्षा आयोग की स्थापना की है, साथ ही कानून–व्यवस्था और जाँच की शाखा को अलग किया है।

कहने को यह सब ठीक और सच है। लेकिन यह अधूरा सच है क्योंकि यह सब अभी हाल ही में हुआ है। हालांकि प्रकाश सिंह के केस में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ६ साल हो चुके हैं तब जाकर दिल्ली ने 'पुलिस सुधार' की ओर आरम्भिक कदम बढ़ाए हैं और वह भी इसकी सही दिशा में नहीं है। पुलिस शिकायत प्राधिकरण – अर्थात् एक ऐसी निकाय जो पुलिस के विरुद्ध संगीन शिकायतों की सुनवाई करेगा, वह आज अत्यधिक काम के बोझ से ग्रस्त दिल्ली लोक शिकायत आयोग के कार्यालय से काम कर रहा है। अपने गठन के बाद से सुरक्षा आयोग की केवल एक बार मीटिंग हुई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल इसके अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री इस आयोग की सदस्य हैं जो हर तीन महीने पर मिलकर राजधानी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का निरीक्षण करती है।

दिल्ली पुलिस विधेयक का नया मसौदा जिसका मकसद है पुलिस सुधार करना, दो सालों से लेफ्टिनेंट जनरल के कार्यालय में पड़ा है। इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्टतया उल्लेखित स्वतंत्रता और जवाबदेही से सुरक्षा को हटा दिया गया है। यह पुलिस को नई शक्तियाँ प्रदान करता है लेकिन जवाबदेही के मानकों को कम करता है। सुधार को, हालांकि नए कानूनों या अधिक शक्तियों की आवश्यकता नहीं है।

पुलिस को दरअसल अपने बारे में बुनियादी तौर पर नए ढ़ंग से सोचने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने ऐसा करने का अवसर प्रदान किया है। इसने ऑपरेशन और ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए पूर्ण रूप से एक नई योजना की स्थापना की है। अदालत की स्कीम में सुरक्षा आयोग का मकसद था पुलिसिंग के लिए पाँच वर्षों के लिए सामरिक योजना बनाना, मुख्य प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को पहचानना और उसके लिए कार्य–योजना तैयार करना। इन सामरिक योजनाओं को प्रत्येक जिले के पुलिस प्रमुख के सलाह के बाद तैयार किया जाना था और उन्हें इस सलाह का निरूपण समुदाय के परामर्श से करना था। फिर, इन योजनाओं को विधानसभा में प्रस्तुत करना था और इसे बड़े पैमाने पर परामर्श के लिए पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना था।

सुरक्षा आयोग सम्बन्धी नीति भूमिका सरकार के लिए कार्य–निष्पादन की प्रभावपूर्ण तरीके से निगरानी करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अगर दिल्ली में आयोग ने अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाया होता तब, शायद पुलिसिंग व्यवस्था की बड़े पैमाने पर चर्चित दूरदर्शिता होती। पुलिस के कार्यनिष्पादन को मापने का मानक भी उपलब्ध होता। इसके बदले। में आयोग की अब तक केवल एक बार मीटिंग हुई है और जन सुरक्षा पर हुई कार्यवाही को गोपनीय रखा गया है। समग्र दूरदर्शिता के अभाव में और जल्दबाज़ी में पुलिस को जेन्डर संवेदीकरण जैसे पैबन्दकारी या फिर बेकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं के विकास पर आश्रित होना पड़ता है।

पुलिसिंग में क्या कमियाँ हैं आज यह मोटे तौर पर सभी को मालूम है। सभी सम्बद्ध लोगों को इसका ईलाज भी मालूम है। अदालत के आदेश के बाद कुछ उपचारों को महत्व दिया गया था। सुरक्षा आयोग की संरचना शायद उस उपचार का मुख्य बिन्दू था। लेकिन, इसके स्वागत के बदले इसे केवल चुनोति, प्रतिरोध और विकृति का सामना करना पड़ा। अगर हमारी गलियों और सड़कों को महिलाओं और दूसरे किसी भी वर्ग के लिए सुरक्षित करना है तो पुलिसिंग व्यवस्था में बदलाव को प्राथमिकता देकर सुधार करना ही होगा।

–माया दारूवाला
एवं
नवाज़ कोतवाल

कार्य-निष्पादन सूचक-उत्तरी आयरलैंड

उत्तरी आयरलैंड भी पुलिसिंग पर निगरानी रखने के लिए, उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड के अधीन कार्य–निष्पादन मीटर के उपयोग में मार्गदर्शक रहा है। २००१ में स्थापित उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड का काम है एक प्रभावकारी, सक्षम, निष्पक्ष और जवाबदेह पुलिस सेवा को सुनिश्चित करना जिसे पूरी जनता अर्थात कैथेलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय का विश्वास प्राप्त हो। इस बोर्ड की उत्पत्ति १९९८ के बेल्फास्ट करार और पैटर्न कमीशन की सिफ़ारिशों से हुई। बोर्ड की मुख्य ज़िम्मेदारियों में से एक है अपराध के प्रचलन और स्वरूप को मॉनीटर करना, प्रमुख कांस्टेबल के साथ मिलकर पुलिस के कार्यनिष्पादन के लिए लक्ष्य और मकसद तय करना, और उन लक्ष्यों के विरुद्ध उन्नति को मॉनीटर करना, और पुलिस के कार्यनिष्पादन से जनता में संतुष्टि को मापना। पुलिसिंग बोर्ड के २००६-२००९ के ६ कार्यक्षेत्र हैं, जिसे इंगलैंड और वेल्स में उपयोग की जाने वाली कार्यनिष्पादन मापक व्यवस्था के नमूने पर तैयार किया गया है। इन कार्यक्षेत्रों में शामिल है–

- नागरिक पर फोकस
- अपराधों को कम करना
- अपराधों की जाँच करना
- जन सुरक्षा को बढ़ावा देना
- संसाधन का उपयोग
- संगठनात्मक विकास

उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग सेवा (पी.एस.एन.आई.) के सामंजस्य से बोर्ड सभी ६ कार्यक्षेत्रों के लिए लक्ष्य और मकसद तय करता है। हालांकि, लक्ष्य और निशाने तय करने का अंतिम अधिकार बोर्ड को है, लेकिन प्रचलन यह है कि लक्ष्य तय करना अब तक आपसी सामंजस्य से ही होता है। वास्तव में, पुलिसिंग बोर्ड के स्टाफ बताते हैं कि वर्तमान प्रमुख कांस्टेबल सूचकों के बड़े हिमायती हैं और उन्हें पुलिस के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है।

सूचक बनाने के लिए जानकारी पी.एस.एन.आई. के राष्ट्रीय सांख्यिकी शाखा से आती है। वह अपराध नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार, जिला स्तर के अपराध विश्लेषकों द्वारा भरे हुए आँकड़े होते हैं। भेजे गए आँकड़ों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कई नियंत्रण बनाए गए हैं। पुलिसिंग बोर्ड ने किसी घटना को किस प्रकार मिलाया जाए (उदाहरण के तौर पर, विशिष्ट अपराधों की रिपोर्ट, हल किये गये केस, आदि) इसके लिए बड़े सख्त नियमों के समूह बनाये हैं। इन विज्ञप्तियों के पालन को स्वतंत्र एजेंसी द्वारा डाटा ऑडिट के द्वारा लागू कराया जाता है जिसमें अपराधों के रिपोर्ट का नमूना, हल किये हुए केसों का नमूना बनाया जाता है और ज़िला रिकॉड से जाँच किया जाता है कि सभी घटनाओं को ठीक तरह से श्रेणीबद्ध किया गया है। उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड द्वारा नियोजित सांख्यिकीयों को किसी ऐसे व्यावसायिक संगठन का सदस्य होना आवश्यक है जोकि अपने काम के लिए मानक तय करते हैं।

इंगलैंड के जैसे ही, उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड राष्ट्र के २९ ज़िलों में तुलना नहीं करती है। दोनों ही देशों में पुलिस का यह तर्क है कि प्रत्येक ज़िले की विशिष्टता के कारण कुशलतापूर्ण तुलना करना असम्भव है और इससे जनता में केवल भ्रम पैदा होगा। इसके बदले में, ज़िला कमांडर के काम को मापने के लिए कार्य–निष्पादन सूचक का उपयोग स्थानीय ज़िला पुलिस साझेदारी पर निर्भर करता है (डी.पी.पी.)। इस डी.पी.पी. में स्थानीय समुदाय के सदस्य होते हैं जो अपने ज़िले के कार्यों को स्थानीय लक्ष्यों के अनुसार तथा ज़िले के पहले के कार्य–निष्पादनों के आधार पर मॉनीटर करते हैं।

पुलिसिंग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का राष्ट्रीय परिणाम दिया जाता है कि पिछले वर्ष लक्ष्यों को पूरा किया गया या नहीं। बोर्ड के वार्षिक रिपोर्ट में एक स्कोरकार्ड होता है जिसमें पुलिस के प्रत्येक कार्य के लिए विशेष उपाय और उसके मकसद को पूरा करने या न करने के लिए पास या फेल का ग्रेड दिया जाता है जैसे कि निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है:–

लक्ष्य	कार्य-निष्पादन	प्राप्त लक्ष्य
१. ऐसे लोगों की संख्या को ५ प्रतिशत तक बढ़ाना जो यह सोचते हैं कि पुलिस अच्छा काम करती है।	ओमनीबस सर्वे अप्रैल २००५-६३ % सितम्बर २००५-६० % औसत - ६२ %	आंशिक रूप से प्राप्त
२. ऐसे लोगों की संख्या को ५ प्रतिशत तक बढ़ाना जो यह सोचते हैं कि पुलिस सबके साथ समान व्यवहार करती है।	ओमनीबस सर्वे अप्रैल २००५-६६ % सितम्बर २००५-६४ %	प्राप्त नहीं किया गया

पुलिसिंग बोर्ड भी दो प्रकार का आवधिक सर्वे करती है। ओमनीबस सर्वे पिछले दस वर्षों से साल में दो बार किया जाता है जिसमें अटकलच्चू से १००० से अधिक लोगों से नमूना लिया जाता है। ओमनीबस सर्वे में प्रतिवादी से पुलिस के किसी भी अनुभव के आधार पर पुलिस में विश्वास और संतुष्टि के बारे में पूछा जाता है। जन प्रदर्शन के लिए उपलब्ध रिपोर्ट, देश के दो बड़े धार्मिक ग्रुप कैथेलिक और प्रोटेस्टेंट के अनुसार जवाब देती हैं ताकि पुलिस द्वारा किसी धार्मिक भेदभाव का मूल्यांकन भी हो सके। पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड ने उत्पीड़ित लोगों के साथ पत्र द्वारा कॉनटैक्ट सर्वे भी किया है। इस सर्वे द्वारा जवाबी कार्यवाही के समय से संतुष्टि, पुलिस स्टाफ का व्यवहार और पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही को मापते हैं। दोनों प्रकार के सर्वे के परिणाम केवल राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं, और यह नहीं बतलाते कि किस प्रकार ज़िला पुलिस के कार्य–निष्पादन को कैसे देखा जाता है।

उत्तरी आयरलैंड ने पुलिस के कार्य–निष्पादन को मॉनीटर करने की ज़िम्मेदारी उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड को दी है। पुलिस अधिनियम (उत्तरी आयरलैंड) २००० के अंतर्गत पुलिस के कार्यनिष्पादन से सम्बन्धित निम्नलिखित दायित्व है:–

- यह सुनिश्चित करना कि पुलिस सक्षम और प्रभावकारी है।
- आम दायित्वों के निर्वाह में पुलिस के कार्य–निष्पादन को मानव अधिकार अधिनियम १९९८ के अनुपालन के लिए मॉनीटर करना।
- स्वयं को आंतरिक शिकायतों और अनुशासन सम्बन्धी प्रक्रियाओं के बारे में सूचित रखना।
- स्वयं को पुलिस और पुलिस की सहायक स्टाफ की भर्ती की पद्धति और प्रचलन के बारे में सूचित रखना।
- स्वंय को इस बात से सूचित रखना कि किस हद तक पुलिस और पुलिस की सहायक स्टाफ की सदस्यता उत्तरी आयरलैंड के समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है।

इसके अलावा, बोर्ड का विशेष अधिदेश है कि वह निम्नलिखित सूचियों के अनुसार उत्तरी आयरलैंड पुलिस सेवा को मापेगी :

- उन उपायों की प्रभावकारिता जो यह सुनिश्चित करने के लिए किये गये हों कि पुलिस और पुलिस के सहायक स्टाफ के सदस्य उस समुदाय के प्रतिनिधि हों।
- पुलिस के कार्यनिष्पादन और जिला पुलिसिंग भागीदारी से जनता में संतुष्टि का स्तर।
- जिला पुलिसिंग भागीदारी की उनके काम करने में प्रभावकारिता, विशेषकर पुलिसिंग सम्बन्धित बातों पर और पुलिस को जनता के सहयोग पर जनता के विचारों को प्राप्त करना।
- धारा ५२ के अंतर्गत जारी नीति – संहिता की प्रभावकारिता।

प्रोफेसर सर डेसमंड रिया के अनसारु, उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड के अध्यक्ष, पुलिसिंग बोर्ड और पुलिस सर्विस के सीनियर कमांड ने २००८ के आखिर में मुलाकात की ताकि "पुलिसिंग योजना के लक्ष्यों और कार्य–निष्पादन सूचक पर चर्चा करके सहमति बनाई गई। सहमत लक्ष्यों के लिए टारगेट और कार्यनिष्पादन सूचक तय किये गये। ऐसे कार्य निष्पादन सूचकों और टारगेट को तय करके जोकि चुनौती भरे फिर भी प्राप्त करने के योग्य हैं, बोर्ड सम्पूर्ण पी.एस.एन.आई. के कार्य निष्पादन में सुधार करना चाहता है।"

२००६-२०१२ के पुलिसिंग योजना में, पुलिसिंग बोर्ड ने प्राथमिकता दी–

१. समुदाय और पड़ोस को सुरक्षित रखने और सुरक्षा का आभास कराने के लिए समुदाय की भागीदारी,

२. पुलिस पर लगातार विश्वास बनाना, बनाए रखना और बढ़ाना,

३. यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के साथ पुलिसिंग, पुलिसिंग सेवा की मुख्य डिलीवरी है,

४. प्रभावकारिता और सक्षमता में सुधार करना।

वार्षिक योजना में प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए साफ़ सूचक तय किये गये हैं।

(अगले अंक में दक्षिणी अफ्रिका के कार्यनिष्पादन सूचकों के बारे में चर्चा की जाएगी।)

– नवाज़ कोतवाल

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

क्या आप जानते हैं?

१६ दिसम्बर २०१२ को दिल्ली में, चलती बस में एक छात्रा के साथ हुए निर्मम बलात्कार के बाद जनता द्वारा पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली पुलिस को अपनी ओर से किये गए उपायों के बारे में व्याख्या करनी पड़ी जिसे जानना सबके लिए आवश्यक है। इन उपायों को बाकी के राज्यों में भी सुरक्षा के लिए लागू किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

जनता में विशेषकर महिलाओं में विश्वास जागृत करने दिल्ली पुलिस महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

१. महिलाओं की सुरक्षा के लिए बी.पी.ओ. आदि को आदेश दिये गये हैं:– दिल्ली पुलिस ने द.प्र.सं. की धारा १४४ के अंतर्गत बी.पी.ओ. कारपोरेट और मीडिया घरों को महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने को कहा है जैसे कि वे यह सुनिश्चित करें कि महिलाएं कैब में अकेली यात्रा न करें और उन्हें बिल्कुल घर तक पहुँचाया जाए।

२. एंटी स्टॉकिंग सेल और एंटी आबसीन कॉल सेल:– इन दोनों सेलों पर १०६६ नम्बर पर फोन करके पहुँचा जा सकता है। दिल्ली पुलिस के एंटी आबसीन सेल में २४,२२० कॉल और एंटी स्टॉकिंग सेल में ४८ कॉल प्राप्त हुए हैं।

३. महिला हेल्प डेस्क:– सभी थानों में महिलाओं से सम्बन्धित शिकायत सुनने के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।

४. पी.सी.आर. वैन को निर्देश दिया गया है कि फंसी हुई महिलाओं की रात के समय मदद करें। कोई भी महिला रात के समय १०० नम्बर पर फोन कर सकती है और उसे सबसे नज़दीक के सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा।

५. अपराध प्रवृत्त क्षेत्रों में कुछ बीट पर पी.सी.आर. वैन में महिला स्टाफ को तैनात किया गया है।

६. महिलाओं से जुड़ी बातों के लिए अलग सेल/यूनिट:– महिलाओं और बच्चों के लिए नानकपुरा में विशेष पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है और महिलाओं से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए हर ज़िले में महिलाओं के विरुद्ध अपराध (सी.ए.डब्ल्यू.) सेल की स्थापना की गई है।

७. बाज़ारों, बसों, सिनेमाघरों, सड़कों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों के समारोहों में विस्मय जाँच करना।

८. पुलिसकर्मियों का जेन्डर संवेदीकरण:– ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठनों की सहायता से पुलिसकर्मियों के लिए कानूनी जागरुकता और जेन्डर संवेदीकरण प्रोग्रामों का आयोजन करना ताकि थानों में जेन्डर मैत्रीपूर्ण माहौल बन सके। महिला और बच्चों के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट, नानकपुरा ने थानों और सब–डिवीज़न स्तर पर दिल्ली के कई ज़िलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया और इसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

९. आत्म–रक्षा प्रशिक्षण:– २०१२ में (१५ नवम्बर २०१२) तक ८६ कार्यक्रमों को लॉन्च किया गया और ७०६१ महिलाओं/लड़कियों को २०११ में आत्म–रक्षा प्रशिक्षण दिया गया। २०११ में विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों और अन्य संस्थानों में ६३ कार्यक्रमों को लॉन्च किया गया और ६७३० महिलाओं/लड़कियों को आत्म रक्षा प्रशिक्षण दिया गया। २००२ में इसके शुरुआत से ६६१ कार्यक्रम किये गये हैं जिसमें ८६६४० से भी अधिक महिलाओं/लड़कियों को प्रशिक्षित किया गया है।

१०. गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क:– दिल्ली पुलिस के कमिश्नर द्वारा पुलिस मुख्यालय में १३ ऐसे गैर सरकारी संगठनों को बुलाया गया जो महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर काम करते हैं और जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गये कदमों के बारे में उन्हें बताया गया और पुलिस के जवाब को बेहतर बनाने के लिए दिये गये उनके सुझावों को कार्यान्वयन के लिए नोट कर लिया गया। दिल्ली पुलिस को इन उपायों के बारे में संवेदनशील बना दिया गया ताकि महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति वे अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें।

११. रेप क्राईसिस इंटरवेन्शन सेन्टर के साथ सम्पर्क:– जिला पुलिस और स्थानीय आर.सी.आई.सी. तथा उनके सदस्यों जैसे कि डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, वकीलों, स्वंयसेवी संगठनों, नॉडल अफ़सरों आदि के साथ सम्बन्ध बनाए रखने के लिए यंत्रावली विकसित की गई है। इसके लिए आवधिक मीटींग की जाती है ताकि बलात्कार पीड़ितों को व्यावसायिक परामर्श दिया जा सके।

१२. परिवर्तन:– इस विचित्र प्रयोग में मुख्य रूप से झुग्गी बस्तियों वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। यहाँ महिला पुलिस अधिकारियों को बीट ड्यूटी पर तैनात किया जाता है जिन्हें महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे इस स्कीम में माँ–बाप, शिक्षकों, विधार्थियों, नवयुवकों, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों और दूसरे मुख्य लोगों को महिला सुरक्षा के मुद्दों पर शिक्षा प्रदान करता है। इस स्कीम में महिला कांस्टेबलों द्वारा शिनाख्त करने और महिलाओं को तकलीफों से छुटकारा दिलाने के लिए घर तक पहुँचाई जाने वाली पुलिसिंग की व्यवस्था भी है, इसमें बलात्कार, महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न आदि पर गलियों में गहन नाटक द्वारा जागरूकता प्रदान किया जाता है और मनोवैज्ञानिकों द्वारा किशोर लड़के व लड़कियों को अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए लेक्चर का आयोजन करवाया जाता है।

१३. महिला थानों की स्थापना:– महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनमें विश्वास बनाये रखने के लिए मुख्यतः महिला कर्मचारियों से लैस थानों की स्थापना दिल्ली विश्विद्यालय के दक्षिणी कैम्पस और उत्तरी कैम्पस के मौरिस नगर में की गई है।

१४. २१८ पेइंग गेस्ट ठिकानों और कामगर लड़कियों के हॉस्टल का सुरक्षा परीक्षण किया ताकि कामकाजी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

१५. सामूहिक बलात्कार के केसों की सुनवाई तीव्र गति से:– दिल्ली पुलिस के निवेदन पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की ज़िला अदालतों को सभी सामूहिक बलात्कार के केसों को फास्ट ट्रैक करने का निर्देश दिया है।

१६. जिन रास्तों का उपयोग, महिलाएं काम पर से देर रात को लौटती हुए करती हैं उन्हें पी.सी.आर. वैन, ई.आर.वी. और पुलिस की पैट्रोलिंग मोटरसाईकिल द्वारा कवर किया गया है।

१७. नगरीय एजेंसियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाये गये रास्तों पर रौशनी की व्यवस्था को बेहतर करना। ऐसे १५८२ अंधेरे क्षेत्रों की पहचान की गई है।

१८. वेश्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही:– महिलाओं के व्यावसायिक यौन शोषण के विरुद्ध अभियान में, दिल्ली पुलिस ने वेश्यालयों को बड़े पैमाने पर बंद करने का निवेदन किया है। एस.डी.एम. के आदेश पर ४ और न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर १ वेश्यालय को बंद किया गया है।

१९. बचाव कार्य :– महिलाओं और लड़कियों के जबरन मज़दूरी के लिए अवैध व्यापार को गैर सरकारी संगठनों की सहायता से बचाव कार्यों द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से काबू किया है और इस प्रकार के ऑपरेशनों में २४० लड़कियों को बचाया गया है।

२०. प्रत्येक ज़िले में महिलाओं से जुड़े कॉल के लिए महिला हेल्पलाईन (१०९१) कर्मचारी सहित वाहनों को तैनात किया गया है।

२१. ''परिवार बचाव मुक्ति घर बचाव'' परियोजना के अंतर्गत परामर्श दिया जाता है। यह परियोजना राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है।

२२. मीडिया (रेडियो, टी.वी. और प्रिंट) द्वारा जागरुकता कार्यक्रम।

२३. विपत्ती में महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित पैम्फलेट का वितरण।

–प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

श्रीमान,

लोक पुलिस के नवम्बर अंक में प्रकाशित कॉमन इंटिग्रेटेड पुलिस ऐप्लीकेशन (सीपा) प्रोग्राम के बारे में अच्छी सूचना का समावेश किया गया है। हमारे काम के कई ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हम जैसे पुलिसकर्मियों को ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि हम प्रायः क्षेत्र में तैनात होते हैं। इसलिए इस प्रकार की सूक्ष्म जानकारी हमारे लिए बेहद लाभकारी है।

इसके अलावा पुलिस समाचार के अंतर्गत 'पुलिस बल में मुसलमानों का अनुपात अपर्याप्त!' लेख से मुसलमानों की पुलिस बल में भागीदारी की असली स्थिति का आभास हुआ। मेरे विचार में सभी अल्पसंख्यकों का उचित अनुपात बल में अवश्य ही होना चाहिए ताकि सबको पुलिस से अपनेपन के व्यवहार की अपेक्षा रहे।

कांस्टेबल, इंदरपुरी थाना
सदस्य, दिल्ली पुलिस

सम्पादक महोदय,

नमस्कार!

सी.एच.आर.आई. द्वारा पिछले कई वर्षों से प्रकाशित की जाने वाली इस पत्रिका के मैंने तकरीबन सभी अंको को पढ़ा है। इसमें प्रकाशित किये जाने वाले साक्षात्कार का भाग मुझे सबसे अधिक रोचक लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि आम तौर पर किसी डी.जी.पी., आई. जी. या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के व्यावसायिक विचारों को जानने का अवसर हमारे स्तर पर पुलिस कर्मियों का नहीं मिलता जबकि इस खण्ड में न केवल उनके व्यावसायिक मतों से परिचित हो पाते हैं बल्कि कई विषयों पर उनकी प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

आशा है, देश के दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विचारों को भी साक्षात्कार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

शुभकामनाओं के साथ!

सब–इंस्पेक्टर, अजमेर
सदस्य राजस्थान पुलिस

पुलिस मुठभेड़ अथवा पुलिस ऐक्शन से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में

यदि पुलिस मुठभेड़ के दौरान किसी अपराधी की मृत्यु हो जाती है अथवा पुलिस हिरासत में रहते हुये किसी व्यक्ति की बीमारी अथवा अन्य कारणों से मौत हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति को असाधारण मानना चाहिए। ऐसी प्रत्येक घटना की सूचना त्वरित गति से स्थानीय उच्चतर पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस मुख्यालय को दी जानी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हुई मृत्यु की सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अवश्य भेजी जाये। मृत व्यक्ति का पंचनामा कार्यकारी मजिस्ट्रेट (उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार) से तैयार कराया जाये और पोस्टमार्टम दो या दो से अधिक डाक्टरों के पैनल से कराया जाये। पोस्टमार्टम प्रक्रम की पूर्ण वीडियोग्राफी करायी जाय जिसकी सी.डी. तैयार कराकर अभिलेख हेतु सुरक्षित रखी जाय। ऐसी परिस्थितियों के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी निम्नांकित निर्देशों का पालन किया जाय।

१. पुलिस पार्टी के साथ ही मुठभेड़ में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होते ही उस सूचना की प्रविष्टि निर्धारित रजिस्टर में की जाये।

२. ऐसी घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना अन्य थाने अथवा स्वतन्त्र जाँच एजेन्सी से कराई जाये।

३. पुलिस कार्यवाही के फलस्वरूप हुई मृत्यु के प्रत्येक मामले की मजिस्ट्रीरियल जाँच प्राथमिकता के आधार पर यथा सम्भव ०३ माह के अन्दर पूर्ण कराई जाये इस सम्बन्ध में मृतक के परिवार वालों, चश्मदीद गवाहों, घटना के सम्बन्ध में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों एवं अभिलेखो को ऐसी जाँच में सम्मिलित किया जायें।

४. पुलिस मुठभेड़ अथवा कार्यवाही के फलस्वरूप हुई मृत्यु की घटना की सूचना ४८ घण्टे के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जाये।

५. ऐसे प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दूसरी प्रगति व्याख्या घटना के ३ माह के भीतर प्रेषित की जाये और इस व्याख्या के साथ पंचनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट अथवा उच्चतर पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जाँच का निष्कर्ष, मृतक के हाथों की धोवन (Hand Wash) की विधिविज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परिक्षण रिपोर्ट तथा घटना में प्रयुक्त शस्त्रों की बैलैस्टीक रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जाये।

पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में

पुलिस अभिरक्षा में मौजूद व्यक्ति की आत्महत्या, बीमारी अथवा बल प्रयोग से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में इन निर्देशों का पालन किया जाए।

१. मृतक का पंचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जायेगा और पोस्टमार्टम डाक्टरों के पैनल द्वारा, विडियोग्राफी सहित, कराया जायेगा। अभिरक्षा में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अंकित कराई जायेगी।

२. पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की सूचना घटना के २४ घण्टे के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जाये।

३. घटनास्थल का निरीक्षण जनपद एंव परिक्षेत्र स्तर के अधिकारी द्वारा अविलम्ब किया जाये।

४. पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाये और ऐसी विवेचनाऐं शीघ्रता पूर्वक पूर्ण करा ली जाये।

(सौजन्य : उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा सभी स्तर पर पुलिसकर्मियों को उपयोग के लिए दी जाने वाली पुस्तिका के कुछ अंश)

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

कोलकाता पुलिस की महिला हेल्पलाईन

कोलकाता पुलिस ने परेशान महिलाओं की मदद करने के लिए कई फोन नम्बर जारी किये हैं जिन्हें सभी महिलाओं को अपने मोबाईल फ़ोन में स्पीड डायल में शामिल कर लेने की सलाह दी है–एंटी स्टॉकिंग नं ८०१७१००१००, विपत्ती नं १०६१ और पुलिस कंट्रोल रूम २२१४३०२४। पुलिस ने यह दावा किया है कि वह प्रत्येक फोन कॉल यहाँ तक कि अगर कोई मिस कॉल उक्त नम्बरों पर आएगी तब, वे उसके करने वाले को भी ढूंढ़ कर कार्यवाही करेंगे ताकि दिल्ली के बस या कोलकाता के पार्क स्ट्रीट जैसी घटनाओं को दोहराया न जा सके।

कोलकाता पुलिस ने महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के यौन हिंसा और छेड़खानी को रोकने के लिए पिछले महीने क्रिसमस और नए साल के आगमन के अवसर पर कई निरोधक उपाय किये जिसमें अधिक संख्या में महिला पुलिस की तैनाती से लेकर रेस्टोरेंट और होटलों में एडवाईज़री भी भेजा ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को संभाला जा सके निःसंदेह पुलिस की यह तैयारी और चौकसी सराहनीय है। लेकिन, कोलकाता हो या फिर देश का कोई भी भाग, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम के लिए २४ घण्टे पक्की तैयारी होनी चाहिए न कि इसके लिए किसी अवसर, आयोजन और त्योहार की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसके अभाव में दिल्ली की १६ दिसम्बर जैसी घटनाओं के बाद किसी प्रकार के उपचार की गुंजाईश ही नहीं बचती। इसलिए, हम आशा करते हैं कि कम से कम कोलकाता पुलिस तो अपने शहर में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कराती रहेगी और ऐसा प्रबन्ध आम दिनों में भी किया जाएगा।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम ३० दिसंबर २०१२)

थानों में अधिक महिला पुलिस

दिल्ली में पिछले वर्ष १६ दिसम्बर को हुए बलात्कार और उसमें पुलिस की निंदनीय कार्यवाही के बाद, अब महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता से कार्यवाही करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ के १६६ थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक थाने में कम से कम २ महिला इंस्पेक्टर और ७ महिला कांस्टेबलों को तैनात किया जाएगा।

१६ दिसम्बर के बलात्कार और बाद मे पीड़िता की मौत के मामले में देश में विरोध प्रदर्शन के पश्चात गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने थानों में महिलाओं की नियुक्ति की घोषणा की। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस अधिकारियों और कांस्टेबलों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वर्तमान समय में दिल्ली में तकरीबन एक लाख पुलिस तैनात है।

उक्त घटना के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ जनवरी के प्रथम सप्ताह में एक कांफ्रेंस का आयोजन भी किया था ताकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अनुसूचित जाति व जनजाति पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा किया जा सके। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था – 'कांफ्रेंस में महिलाओं और अनुसूचित जाति व जनजाति की सुरक्षा, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा, महिलाओं पर हुए विभिन्न अपराधों के आँकड़ों पर चर्चा, महिला भ्रूण हत्या, कथित ऑनर किलिंग, तेज़ाब से हमला और पीड़ितों के लिए मुआवज़े की योजना पर परिचर्चा होनी थी।

देश में निर्मम बलात्कार की यह कोई पहली घटना नहीं थी लेकिन सबसे पहले तो देश में कहीं भी इसे रोकने के लिए कोई मज़बूत प्रतिरोधक योजना और उपाय नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऊपर उल्लेखित घोषणा और कांफ्रेंस भी केवल इसलिए करने पड़े क्योंकि यह अपराध दिल्ली की चलती बस में हुआ और राजधानी में होने के कारण इसे मीडिया का व्यापक कवरेज मिला जिसने जन आक्रोश को सरकार के समक्ष लगातार कम से कम दो सप्ताह तक प्रस्तुत किया और इसी कारण आनन फानन में सरकार को कुछ कदम इस रूप में उठाना पड़ा।

इस कांफ्रेंस और अधिक महिलाओं की नियुक्तियों की घोषणा से महिलाओं के सुरक्षा की स्थिति में कोई जादुई सुधार नहीं आने वाला है, हाँ इससे पुलिस और महिला सुरक्षा पर भविष्य की रणनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी वह भी तब, जब सभी स्थानों पर घोषित संख्या में तैनाती हो जाएगी। अभी के लिए सबसे आवश्यक है काम में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को उचित आर्थिक दण्ड देना जिसमें उन्हें सस्पेंड करना और निष्कासित करना भी शामिल है। तुरंत ऐसा किये जाने के डर के कारण उनकी तत्परता और कार्यनिष्पादन में अवश्य ही सुधार आएगा। इसके अलावा मज़बूत प्रतिरोधक योजना बनाकर उसे तुरंत लागू करने से महिलाओं और दूसरे ज़रूरतमंदों की सेवा और सहायता के कार्यों में पुलिस सुधार ला सकती है।

(सौजन्य : डेली पायनियर डॉट कॉम ४ जनवरी २०१३)

क्राईम ट्रैकिंग व्यवस्था की शुरूआत

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा इस आधुनिकतम पायलट प्रॉजेक्ट का उदघाटन जनवरी के प्रथम सप्ताह में किया गया। अपराधियों का पता लगाने और अपराधों की जाँच करने के लिए सुसंगठित ई–गवर्नेंस व्यवस्था और राष्ट्र भर में आई.टी. सामर्थ्य ट्रैकिंग व्यवस्था को अपनाकर थाना स्तर पर पुलिसिंग की क्षमता और प्रभावकारिता में बेहतरी आएगी।

इस प्रॉजेक्ट के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है– जाँच और अभियोजन प्रक्रिया को संगत बनाना, सुराग एकत्रित करने की यंत्रावलि को मज़बूत करना और राष्ट्र भर में अपराध और अपराधियों से सम्बन्धित सूचना का आदान प्रदान करना। इस व्यवस्था से पुलिस संगठनों, थानों, ज़िलों, पुलिस मुख्यालयों या केन्द्र स्तर पर या दूसरे संगठनों/एजेंसियों के साथ आँकड़ों और सूचनाओं को एकत्रित करने, जमा करने, क्षतिपूर्ति करने और मुल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।

इस प्रॉजेक्ट के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के तकरीबन १४००० थानों और पुलिस अनुक्रम के ६००० बड़े कार्यालयों को आपस में जोड़ा जाएगा। यह परियोजना २००६ में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत २००० करोड़ के खर्चे से मंजूर की गई थी।

इस परियोजना से अपराधों की जाँच में, अपराध रोकन में, कानून–व्यवस्था बनाए रखने में, ट्रैफिक प्रबन्धन और इमरजेंसी प्रतिक्रिया में सुधार आने की आशा है। साथ ही इससे अपराधियों, संदिग्धों, आरोपियों का पीछा करने में भी सहायता मिलने की आशा है।

(सौजन्य : डेली पायनियर डॉट कॉम ५ जनवरी २०१३)

दिल्ली: थाना समितियों की दोबारा शुरुआत

पिछले कुछ महीनों में लगातार अपने सुस्त कार्य प्रदर्शन के बाद शर्मिंदगी का सामना करती हुई दिल्ली पुलिस ने अपने काम में तटस्थता दिखलाने और जन मैत्री पद्धति के अपनाने के लिए 'थाना समितियों' को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसे २०११ में खत्म कर दिया गया था। दरअसल, इन समितियों का गठन जनता और पुलिस के बीच संवाद को बेहतर बनाने के लिए तथा स्थानीय कानून–व्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया था।

नए आदेश के अनुसार ऐसी समितियां प्रत्येक थाने में बनाई जाएंगी जिसका मकसद होगा स्थानीय मुद्दों को हल करना इसके अंतर्गत महिला और बुजुर्गों की शिकायत सुनकर उन्हें हल किया जाएगा। यह समिति महीने में दो बार मीटिंग करेगी – महीने की १ और १६ तारीख को और यह वेदनीय क्षेत्रों और रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर सुझाव देगी। यह अपराध प्रवृत्ति क्षेत्र जहाँ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ होने की सम्भावना हो, को पहचानेंगे और उसी के अनुसार वहाँ पुलिसकर्मियों खासकर महिलाओं की तैनाती की जाएगी। इसका मकसद है सड़कों पर पुलिस और सिविल डिफेंस की संख्या जिसमें स्वंयसेवक और होमगार्ड भी शामिल हैं, में बढ़ोतरी करना। इसके कार्यक्रम में सीनियर सिटिजन, घरेलू महिलाओं की सुरक्षा जो दिन में अकेली रहती है और उत्तर पूर्व के लोगों की सुरक्षा, स्थानीय परिवहन और बस स्टैंड पर सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। प्रत्यके समिति में कम से कम ६ लोग होंगे जिसमें ज़ोन के ए.सी.पी. और स्थानीय एस.एच.ओ., सिविल डिफेंस कर्मियों, क्षेत्र के होमगार्ड इंचार्ज, महिला संगठन की सदस्य, एक सेवानिवृत कर्मचारी और आर.डब्ल्यू.ए. और एम.डब्ल्यू.ए. और प्रतिष्ठित कन्या विद्यालय और कॉलेज के प्राध्यापक इसके सदस्य होंगे।

इस समिति द्वारा दी गई सिफारिशों और सलाहों को डी.सी.पी. के पास भेजा जाएगा और वह बाद में इसे सरकार के पास कार्यान्वयन के लिए भेजेंगे।

दिल्ली पुलिस द्वारा जनता के सामंजस्य बिठाने की यह कोशिश एक साकारात्मक कदम है और इससे वेदनीय वर्ग के लोगों की सुरक्षा के अलावा दूसरे प्रकार के अपराधों को रोकने और आम तौर पर जाँच के काम में बहुत सहायता मिल सकती है। आशा है, अब इन समितियों को समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि समय समय पर आवश्यकतानुसार इसकी प्राथमिकताओं में बदलाव किया जाना चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १६ जनवरी २०१३)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org